मध्यप्रदेश शासन

वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग

मंत्रालय, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 13/10/2017

क्र. एफ 16-18/2013/बी-ग्यारह: राज्य शासन एतद् द्वारा निर्णय लिया गया कि जीएसटी व्यवस्था लागू होने के फलस्वरूप उद्योग संवर्धन नीति, 2014 की कंडिका क्रमांक 4.4.7, 10.3, 10.6, 10.7, 10.11.3, 10.11.4, 15.1 एवं 15.6 में प्रावधानित सुविधाओं के अन्तर्गत वृहद उद्योगों के संदर्भ में उपदत्त सुविधाओं को विलोपित किया जाता है तथा वृहद श्रेणी के उद्योगों के लिए निवेश प्रोत्साहन सहायता को प्रावधानित करने हेतु पृथक कंडिकायें निम्नानुसार स्थापित कि जाती है:-

1. उद्योग संवर्धन नीति, 2014 में वेट/सीएसटी सहायता तथा प्रवेश कर से छूट सुविधा को विलोपित कर नीति में तदानुरूप संशोधन करते हुए वृहद औद्योगिक परियोजनाओं (10 करोड से अधिक यंत्र एवं संयत्र में निवेश) को निवेश प्रोत्साहन सहायता का निर्धारण निम्नानुसार चार चरणों में किया जावेगा :-

वार्षिक निवेश प्रोत्साहन सहायता = वार्षिक मूल निवेश प्रोत्साहन सहायता X वार्षिक उत्पादन गणक X वार्षिक रोजगार गणक X वार्षिक निर्यात गणक

(1) मूल(Basic) निवेश प्रोत्साहन सहायता :-

- **मूल(Basic) निवेश प्रोत्साहन सहायता**
  =IF(P&M>1500,150,MIN(IF(P&M<11,0.4*P&M,MIN(4+0.098*(P&M-10)+P&M/(10.88)*MAX(1-P&M/1490,0)+7.2*(1-P&M/1500),0.4*P&M)),150))
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उपरोक्त् सूत्र में 1.5 (एक दशमलव पांच) का गणक अतिरिक्त लगाया जायेगा।
- मूल निवेश प्रोत्साहन सहायता यंत्र तथा संयत्र में किए गए रू. 10 करोड से अधिक के निवेश पर 40% से 10% तक उपरोक्त सूत्र के आधार पर परिवर्तित होगी।
- यह स्पष्ट किया जाता हैं कि मूल निवेश प्रोत्साहन सहायता राशि की अधिकतम सीमा किसी भी परिस्थिति में रू. 150 करोड ही होगी।

वार्षिक मूल निवेश प्रोत्साहन सहायता = मूल निवेश प्रोत्साहन सहायता/7

यदि इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन 30 सितम्बर के पूर्व का है तो उसे प्रथम आधार वर्ष मान्य किया जावेगा किन्तु वाणिज्यिक उत्पादन 30 सितम्बर के पश्चात का हो तो इकाई को उसे प्रथम उत्पादन वर्ष मानने अथवा आगामी वर्ष को प्रथम उत्पादन वर्ष मानने का विकल्प उपलब्ध होगा ।

(2) सकल आपूर्ति मूल्य पर आधारित गणक :-

इकाई को प्रथम वर्ष में उपरोक्त गणक को एक मान्य जावेगा बशर्ते इकाई की स्थापित क्षमता का कम से कम 40% उपयोग किया गया हो । अगले वर्ष में सकल आपूर्ति राशि को पूर्वगामी वर्ष की उच्चतम सकल आपूर्ति राशि के 75% अथवा उससे अधिक होने पर गणना एक मान्य की जावेगी । सकल आपूर्ति राशि में 75% से कमी होने पर अनुपातिक रूप से निवेश प्रोत्साहन राशि में कमी की जावेगी ।

Gross Supply Value Multiple (GSM) Formula (सकल आपूर्ति मूल्य गणना सूत्र) :-

Gross Supply Value Multiple (GSM) = MIN(75%,AGS/PPYS)/75%

Peak Previous Year Gross Supply (PPYS)
Actual Gross Supply in the Reviewed Year (AGS)
Note:
1. Maximum GSM value shall be '1'.
2. GSM for first year should be '1' provided utilization of installed capacity is at least 40%
3. To have a gross supply value multiple of 1, minimum GSP should be 75% of peak previous year annual Gross Supply (PPYS); this implies if the AGS is lesser than 75% of PPYS, there will be a proportionate decrease in GSM .

निरंतर.....

Scanned by CamScanner

(3) निर्यात आधारित गणक :-

निर्यातक इकाईयों को उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का न्यूनतम 25% से 75% तक निर्यात करने पर निर्धारित सहायता राशि 1.0 से लेकर अधिकतम 1.2 गुना तक अतिरिक्त निवेश प्रोत्साहन सहायता राशि का लाभ दिया जावेगा ।

Export Multiple (EM) Formula निर्यातक गणक सूत्र :-

Export Multiple (EM) = IF [Export Value/Production Value < 25%, 1, IF (Export Value/Production Value < 75%, 1 + 0.2*(Export Value/Production Value - 25%)/50%, 1.2)]

Export Value – Value of exports in Rs Crs
Production Value – Value of total production in Rs Crs
Note:
- ✓ If export value is less than 25% of production value, Export Multiple (EM) will be 1.
- ✓ For export value of 25% to 75% of production value, Export Multiple (EM) will range from 1.0 to 1.2.
- ✓ For export value of more than 75% of production value, Export Multiple (EM) will be 1.2.

Intermediate Yearly Instalment 2 (IYI2) will be derived from Intermediate Yearly Instalment 1 (IYI1) after subjecting it to Export Multiple (EM).

(4) रोजगार आधारित गणक :-

इकाई में 100 से 2500 के बीच रोजगार उपलब्ध होने की स्थिति में निवेश प्रोत्साहन सहायता को 1 से 1.5 के बीच अनुपातिक आधार पर प्रदान किया जावेगा ।

Employment Multiple (EYM) Formula (रोजगार गणक सूत्र)

Employment Multiple (EYM) = MAX[1,MIN[1.5,(1+(AE-100)*((1.5-1)/(2500-100))]]

Average Employees in the Reviewed Year (AE) – Average employee count of the company in the reviewed year;
AE will be derived as = Σ(Employee count at the month end for each month of the financial year) / 12
Note:

1. Till 100 employees (AE), EYM will be 1
2. From 100 to 2,500 employees (AE), the EYM will increase from 1 to 1.5, proportionately
3. For 2,500 and above employees (AE), EYM is capped at 1.5

निवेश प्रोत्साहन सहायता की प्रभावशीलता :-

2.1 निवेश प्रोत्साहन सहायता 01 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2022 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाली इकाईयों पर प्रभावी होगा । जिन इकाईयों द्वारा उनके प्रस्तावित निवेश का 75% निवेश निर्धारित अंतिम तिथि (31 मार्च, 2022) तक कर लिया जावेगा उन्हे वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने तथा प्रस्तावित सहायता का लाभ प्राप्त करने के लिए निर्धारित समयावधि से 1 वर्ष का अतिरिक्त समय प्रदान किया जावेगा ।

2.2 प्रस्तावित सुविधा का लाभ लेने हेतु विकल्प की सुविधा ऐसी निवेश परियोजनाओ को निम्नानुसार उपलब्ध होगी :-

(अ) जिन्होने उद्योग संवर्धन नीति, 2014 अन्तर्गत एमपी ट्रायफेक की वेबसाईट में निवेश आशय प्रस्ताव दर्ज किया हो अथवा

- ➢ जिन्हे निवेश संवर्धन पर मंत्रि परिषद समिति द्वारा सुविधाओं का कस्टमाइज पैकेज स्वीकृत किया गया हो अथवा
- ➢ जिन्हे उद्योग संवर्धन नीति 2014 अन्तर्गत प्रावधानित सुविधाओं का लाभ लेने हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र जारी किया गया हो ।

तथा

(ब) जिनमें 01 अप्रैल 2018 अथवा उसके पश्चात वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया हो ।

निरंतर.....

Scanned by CamScanner

3/ इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक से 01 वर्ष पश्चात् तक प्लांट एवं मशीनरी में किये गए निवेश को निवेश प्रोत्साहन सहायता की गणना हेतु मान्य किया जावेगा ।

4/ निवेश प्रोत्साहन सहायता को त्रैमासिक अथवा वार्षिक रूप से वितरित किया जा सकेगा ।

5/ **यंत्र एवं संयत्र की परिभाषा** - उद्योग संवर्धन नीति, 2014 की कंडिका क्रमांक 10.3 को विलोपित करते हुए यंत्र एवं संयत्र की परिभाषा निम्नानुसार प्रतिस्थापित की जाना :-

"इकाई के प्लांट एवं मशीनरी में किया गया निवेश किन्तु भूमि एवं भवन में किया गया निवेश इसमें सम्मिलित नही होगा ।"

6/ विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र में स्थापित होने वाली इकाईयों को निवेश प्रोत्साहन सहायता की पात्रता नही होगी ।

7/ "वृहद श्रेणी की औद्योगिक तथा निवेश परियोजनाओं के लिए मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना 2014" में संशोधन, शिथिलीकरण, विसंगति दूर करने तथा प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग अधिकृत होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(एच. एल. कान्ता राव)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग

पृ.क्र. एफ 16-18/2013/बी-ग्यारह — भोपाल, दिनांक 13/10/2017

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, समस्त विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त रोजगार, उद्योग एवं रोजगार संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
4. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फिसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल।

- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग

Scanned by CamScanner